डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड केस में एम.एल.ए. गोठवाल के खिलाफ तय किए आरोप रद्द

भारतीय न्याय पालिका पर विश्वास ने दिलाई सत्य की जीत : राजेंद्र राठौड़

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा के लालसोट में मार्च, 2022 को एक अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद केस दर्ज होने पर डॉ. अर्चना शर्मा के सुसाइड करने के मामले में सवाई माधोपुर के खंडार विधायक जितेन्द्र गोठवाल सहित अन्य आरोपियों को राहत दी है। अदालत ने मामले में एडीजे कोर्ट लालसोट के 9 फरवरी 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए थे। जस्टिस गणेशराम मीणा ने यह आदेश जितेन्द्र गोठवाल, बलराम बैरवा व अन्य की रिवीजन याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया। अदालत ने एडीजे कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह मामले में मूल चालान और पूरक आरोप पत्र के आधार पर याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाने या आरोप मुक्त करने के संबंध में आदेश पारित करे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अग्रिम अनुसंधान में विधायक जितेंद्र गोठवाल पर लगाए गए आरोप आधारहीन पाए गए हैं और मामले में उनकी किसी तरह की संलिप्तता नहीं पाई गई है। अदालत ने आदेश की कॉपी डीजीपी को भेजते हुए कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाए और केसों में निष्पक्ष तौर पर अनुसंधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने कहा कि यदि मामले की अग्रिम अनुसंधान रिपोर्ट सही है तो स्पष्ट है कि गोठवाल को बिना किसी आधार के गिरफ्तार किया था। जबकि पूरक आरोप पत्र में गोठवाल का नाम ही नहीं था। ऐसे में या तो मूल चालान किसी साक्ष्य के बिना पेश किया था अथवा पूरक चालान बिना किसी साक्ष्य व अनुसंधान के दिया था। ऐसे में अग्रिम अनुसंधान की रिपोर्ट आए बिना आरोप तय नहीं किए जाने चाहिए थे।

> ■ 'पूर्व सीएम गहलोत ने अपने आलाकमान को खुश करने के लिए भाजपा महामंत्री जितेंद्र गोठवाल को झूठे मामले में फंसाने का किया था कार्य'

गोठवाल के अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने बताया कि अस्पताल में प्रसूता की मौत को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद डॉ. अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। वहीं अगले दिन अर्चना ने आत्महत्या कर ली। इस पर अर्चना के पति ने कुछ लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने मामले में गोठवाल को भी गिरफ्तार किया था।

इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने हमेशा दलितों की आवाज को दबाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम गहलोत और उनके मंत्रियों ने प्रतिशोध की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया था। दौसा में दलित प्रसूता की इलाज के दौरान लापरवाही से मौत के बाद भाजपा महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने दलित परिवार को न्याय दिलाने के प्रयास किया था। इस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने आलाकमान को खुश करने के लिए षडयंत्र रचकर डॉ अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले में उन्हें फंसाया और 53 दिन तक जेल में रखा, लेकिन जीत आखिर सत्य की हुई और हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में दलितों की आवाज उठाने वाले गोठवाल के पक्ष में फैसला देते हुए उनकी संलिप्तता नहीं होने पर एडीजे कोर्ट लालसोट के चार्ज आदेश को रद्द करने का फैसला दिया है।

राठौड़ ने बताया कि कांग्रेसी एक परिवार को खुश करने में जुटे हुए है। प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए पूर्व सीएम गहलोत ने गोठवाल को इस मामले में फंसाया और गिरफ्तार करवाया। एक ओर प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, वहीं राजस्थान में तत्कालीन कांग्रेस सरकार होने के बावजूद दलित महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म के मामले बढ़ते गए। ऐसे में गोठवाल द्वारा प्रियंका को टिकट भेजकर राजस्थान में आकर महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार व दुष्कर्म पर बोलने के लिए निमंत्रण भेजा था। इसके अगले ही दिन गहलोत ने बदले की भावना से उनके खिलाफ कई केस दर्ज करवाए और गिरफ्तार करवाकर दलितों की आवाज को दबाने का प्रयास किया था।

आचार्य विद्यासागर जी मानवता के पोषक संत : राज्यपाल

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शुक्रवार को मुम्बई पहुंचे। उन्होंने वहां दादर स्थित योगी सभागार में आचार्य विद्यासागर के प्रथम समाधि दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लिया और उन्हें अपनी आदरांजलि अर्पित की। उन्होंने इस दौरान आचार्य श्री द्वारा देश में गौशालाओं की स्थापना, हथकरघा उद्योग के प्रोत्साहन, शिक्षा के क्षेत्र में दिए योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि संत-महात्मा किसी एक समुदाय के नहीं मानव मात्र के कल्याण से जुड़े होते हैं। आचार्य विद्यासागर जी ऐसे ही संत थे। उन्होंने उनकी तपस्चर्या और जीवन से जुड़े आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। बागडे ने आचार्य विद्यासागर के शिष्य स्वामी देवेन्द्र ब्रह्मचारी को प्रणाम निवेदित करते कहा कि वे अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाकर समाज के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

ज्वेलरी शॉप से कच्ची चांदी का स्क्रैप चुरा ले गए बदमाश

जयपुर। कालवाड़ इलाके में बदमाश ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर कच्ची चांदी स्क्रैप चोरी कर ले गए।

जयपुर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। बोलेरो सवार बदमाश शॉप का शटर तोड़कर अंदर घुसे। महज 6 मिनट में कच्ची चांदी स्क्रैप चोरी कर फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरों की करतूत कैद हो गई। कालवाड़ थाना पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।

पुलिस ने बताया कि कालवाड़ के रहने वाले कैलाश कुमावत की ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई। रामकुई इलाके में उनकी लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। गुरुवार रात को रोज की तरह शॉप लॉक कर वह अपने घर आ गए थे। देर रात पीछे से बदमाशों ने चोरी की नीयत से ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। शटर तोड़कर घुसे बदमाश शॉप की अलमारी में रखी कच्ची चांदी स्क्रैप चोरी कर ले गए। सुबह आस-पड़ोसी दुकानदारों ने शटर टूटे देखकर ज्वेलर कैलाश कुमावत को चोरी की सूचना दी। ज्वेलर के साथ ही कालवाड़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए।

ज्वेलरी शॉप के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर चोरों की करतूत कैद मिली। रात करीब 2:53 बजे बोलेरो गाड़ी में आए 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दो बदमाश शॉप से कुछ दूरी पर खड़े होकर निगरानी रखते रहे। चार बदमाशों ने नकब के जरिए शॉप का शटर तोड़ा। महज 6 मिनट में शॉप में रखे कच्ची चांदी स्क्रैप चोरी कर ले गए। पीड़ित ज्वेलर ने पुलिस को बताया कि सोने-चांदी के बने हुए आइटम वह बैग में रखकर घर ले गया था, इसके चलते बड़ी चोरी होने से बच गई। पुलिस फुटेज के आधार पर बोलेरो गाड़ी चोरों की तलाश कर रही है।

प्रत्येक जिले में कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे : अविनाश गहलोत

जयपुर, (वि.सं.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण के लिए 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन हो चुका है तथा 11 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिला निवास योजना के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के अन्तर्गत जारी गाइडलाइन पार्ट-एक्स (कंस्ट्रक्शन आफ वर्किंग वूमन हॉस्टल्स) के तहत राजस्थान राज्य के लिए 165.32 करोड़ रुपए की डीपीआर मय रिपोर्ट बजट मांग के लिए प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को 24 जनवरी 2025 को भिजवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कामकाजी महिला निवास योजना के संचालन के लिए सभी संभाग मुख्यालयों (अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर) पर भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करवाई जा चुकी है। उन्होंने उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में कामकाजी महिला निवास योजना के संचालन के लिए दिशा-निर्देश भी सदन के पटल पर रखे।

गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने बजट घोषणा 23-24 में संभाग स्तर पर 100 तथा जिला मुख्यालय स्तर पर 50 महिलाओं के रहने के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वूमन हॉस्टल्स प्रारंभ करने की घोषणा की थी, लेकिन इनके पेटे किसी भी राशि का कोई प्रावधान नहीं किया।

टैक्सी-ड्राइवर को पीटने वाले वकीलों पर एफ.आई.आर. दर्ज

> ■ इस घटना से नाराज टैक्सी ड्राइवर यूनियन ने उठाई वकीलों का लाइसेंस सस्पेंड करने की मांग
>
> ■ एडवोकेट की कार से गाड़ी टकराने पर की थी पिटाई

जयपुर। जयपुर में अंबेडकर सर्किल पर गुरुवार दोपहर टैक्सी ड्राइवर को पीटने के मामले में आज दो एफआईआर दर्ज करवाई गई। एक एफआईआर पीड़ित टैक्सी ड्राइवर ने दर्ज करवाया। वहीं, दूसरा केस टैक्सी में बैठे कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग के अधिकारियों ने दर्ज करवाया। इससे पहले ड्राइवर यूनियन ने जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी वकीलों के खिलाफ नारेबाजी की।

वहीं, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी अशोक नगर थाने पहुंचे। मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान टैक्सी में बैठे पीड़ित उप मुख्य निरीक्षक हरीशंकर और वरिष्ठ निरीक्षक चंद्रकांत पाकड़ भी विभाग के कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई।

पीड़ित ड्राइवर मुकेश प्रजापत ने बताया कि गाड़ी टच होने की बात पर ही वकीलों ने हम से मारपीट की। इतना ही नहीं जब हम कल मामले में पुलिस कार्रवाई करने के लिए थाने पहुंचे थे तो उनके द्वारा हमें मुकदमा दर्ज नहीं करवाने के लिए धमकाया गया।

टैक्सी ड्राइवर यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा- हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग में कार्यरत इतिका ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमारे उप मुख्य निरीक्षक हरीशंकर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। जो विभाग के सीनियर अधिकारी हैं। ये लोग उनके साथ ही मारपीट कर सकते है तो आमजन कैसे क्या करेगा। हमारी मांग इन लोगो के लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए साथ ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

एडिशनल डीसीपी साउथ, ललित कुमार शर्मा ने बताया कि कल की घटना के संबंध में टैक्सी ड्राइवर और अधिकारी दोनों की ओर से मामला दर्ज किया गया है। यह मामला एक वीडियो के माध्यम से सामने आया है, जिसकी गहन जांच जारी है। संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि एक वकील की गाड़ी और टैक्सी में टक्कर हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वहां मौजूद एडवोकेट्स ने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाल मारपीट शुरू कर दी। इतना मारा कि ड्राइवर सड़क पर ही रोने लगा। इसके बाद पुलिस ने आकर समझाइश की और ड्राइवर को बचाया।

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ओटीएमपी के शेष रहे कार्य छह महीने में होंगे पूरे : कन्हैयालाल चौधरी

.(वि. स.)। राजस्थान में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ओटीएमपी के शेष रहे सभी कार्यों को आगामी छह महीने में पूरा किया जायेगा।

कन्हैयालाल प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जल जीवन मिशन के तहत उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 40 प्रतिशत कार्य ही पूरे हो पाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से इन कार्यों को गति मिली तथा अब केन्द्र सरकार द्वारा इन कार्यों की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि हैण्डपम्पों के उचित रखरखाव एवं मरम्मत के लिए इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में से किसी एक ही विभाग को देने के लिए मंत्रिमंडल में समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले विधायक फूल सिंह मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 139 गांवों में से 135 ग्रामों को जल जीवन मिशन के तहत लाभान्वित किये जाने के लिए अन्य योजनाओं (ओटीएमपी) की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दिसम्बर 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत 325.77 करोड़ रूपये की 106 योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गई थी। जिनकी केन्द्रीय मद में 155.07 करोड़ रुपए एवं राज्यमद में 157.63 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां जारी की गई थी। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 48 हजार 780 जल संबंध जारी किये जाने के लिए स्वीकृति जारी की गई है। इसके विरूद्ध गत जनवरी तक 18 हजार 699 जल संबंध जारी किए गए है एवं स्वीकृत योजनाओं पर जनवरी तक 121.31 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।

आमजन को टीबी रोग की जानकारी जरूरी : डॉ.रवि

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन, जयपुर में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत जिलों के सभी आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) समन्वयकों एवं पीपीएम (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) समन्वयकों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

निदेशक (जन स्वास्थ्य) डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने कार्यशला को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक आमजन को टीबी रोग की सही जानकारी सुलभ नहीं होगी, तब तक एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव नहीं है। इस दिशा में आईईसी समन्वयकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा 11 मार्च से 24 मार्च (विश्व टीबी दिवस) तक पूरे प्रदेश में टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर क्षय रोग (टीबी) को समाप्त करने के लिए जनजागरूकता बढ़ाना और रोग उन्मूलन हेतु सक्रिय कदम उठाना है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी मंत्री और सचिव जिलों का दौरा करेंगे

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और सचिवों को बजट घोषणाओं का त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री 22 एवं 23 फरवरी को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे।

मंत्री 23 फरवरी को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, बजट घोषणा 2025-26 के संबंध में भूमि चिन्हीकरण और आवंटन की स्थिति के साथ ही वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति एवं जिलों से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रभारी सचिव, जिला कलक्टर एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे तथा इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान के वैद्य ताराचंद शर्मा को "धन्वन्तरि" पुरस्कार

राजस्थान के मूल निवासी और दिल्ली में चिकित्सारत सुप्रसिद्ध नाड़ी वैद्य ताराचंद शर्मा को भारत सरकार की ओर से आयुर्वेद के सर्वोच्च "धन्वन्तरि" पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। उन्हें पुरस्कार स्वरूप पांच लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल प्रदानकर सम्मानित किया गया। वैद्य शर्मा को यह पुरस्कार 20 फरवरी को मुंबई में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रदान किया। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के समापन एवं "धन्वन्तरि" पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विशिष्ट अतिथि एकनाथ शिंदे थे। समारोह में आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा, राष्ट्रपति के मानद चिकित्सक वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा सहित आयुर्वेद जगत की कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित थी। मूलतः झुंझुनूं जिले के बिसाऊ कस्बे के निवासी वैद्य ताराचंद शर्मा इससे पहले भी आयुर्वेद जगत के अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से सम्मानित किए जा चुके हैं।

प्योर ईवी ने जियोथिंग्स के साथ की साझेदारी

जयपुर। भारत के प्रमुख टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक, प्योर ईवी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों में स्मार्ट डिजिटल क्लस्टर और टेलीमैटिक्स को एकीकृत करने के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो थिंग्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य उन्नत आईओटी समाधान, निर्बाध कनेक्टिविटी और समग्र डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाकर उपयोगकर्ता अनुभव को फिर से परिभाषित करना है।

प्योर ईवी अपने ईडब्ल्यू में जियोथिंग्स स्मार्ट डिजिटल क्लस्टर्स का उपयोग करेगा, जिसमें एंड-टू-एंड आईओटी समाधान शामिल हैं, ताकि उनकी कार्यक्षमता और इन्टरएक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। 4जी कनेक्टिविटी द्वारा सक्षम टेलीमैटिक्स को शामिल करने से ग्राहक वास्तविक समय में वाहन के प्रदर्शन की निगरानी कर सकेंगे और अधिक कुशल संचालन के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जियोथिंग्स 4जी स्मार्ट डिजिटल क्लस्टर एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित एवनिओएस का उपयोग करता है। यह रीयल-टाइम डेटा एनालिटिक्स और फुल एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले कम्पैटिबिलिटी प्रदान करता है।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय मकान नम्बर 119/276 मानसरोवर जयपुर राजस्थान के सन्दर्भ में श्री गजानन्द सिंह चौहान के पक्ष में जारी अलॉटमेन्ट लैटर नम्बर 5172 दिनांकित 25.11.1990, अदेय प्रमाण पत्र कमांक 4798 दिनांकित 27.11.1999, पजेशन सर्टिफिकेट दिनांकित 13.1990 तथा श्रीमती राज कुमारी चौहान के पक्ष में जारी नियमितीकरण पत्र एवं अदेय पत्र क्रमांक 252 दिनांकित 15.1.2001 कहीं खो गये है। जिसके सम्बन्ध में एक ऑनलाईन पुलिस इनफोरमेशन रिपोर्ट एलआर 2643544/2025 दिनांक 21.02.2025 को दर्ज कराई गई है। उक्त मकान की वर्तमान स्वामिनी श्रीमती राजकुमारी चौहान ने उक्त मकान को रहन रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक आर ए सी पी सी जयपुर में आवेदन किया है। यदि किसी को आपत्ति हो तो सात दिवस में सम्पर्क करे बाद मियाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। **(दिलीप पारीक) अधिवक्ता**
दिनांक 20.2.2025 मोबाइल नम्बर 9413417921

आम सूचना मैं, मेरी अभिभाष्या श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी बंसी जाति बावरिया निवासी-म.नं. 19/20 श्रीरामपुरी कॉलोनी, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर (राज.) की है की ओर से यह आम सूचना के जरिये घोषणा करती है कि मेरी अभिभाष्या के पुत्र/पुत्रीया/पुत्रवधु क्रमशः बबली देवी पत्नी स्व. श्री सुल्ती, राजकुमार, सचिन पुत्र सुल्ती पायल पुत्री सुल्ती पिंकी पत्नी राजकुमार के है ये सभी मेरी अभिभाष्या के कहने में नहीं है तथा वह गलत लोगो के बहकावे मे आने के कारण मेरी अभिभाष्या अपने उपरोक्त को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करती है तथा भविष्य में वह अपने उपरोक्त से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेगी जो भी व्यक्ति मेरी अभिभाष्या के उपरोक्त सेकिसी प्रकार का लेन देन करेंगे उसके लिये वह स्वयं वो भी जिम्मेदार होगा। उसके लिये मेरी अभिभाष्या की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
दिनांक-21.02.2025 **(प्रशान्त शर्मा) एडवोकेट** मो.नं. 9414044441

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य हनुमान प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री भंवरलाल जाति महाजन निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज. को रहने वाला है। मेरे अभिभाष्य का पुत्र मयंक खण्डेलवाल पुत्र हनुमान प्रसाद उम्र 30 साल जो मेरे अभिभाष्य के अनुशासन, नियंत्रण में नहीं रहता है तथा सामाजिक व पारिवारिक मर्यादा के प्रकार से भरण पोषण इत्यादि नहीं करता है ना ही मयंक खण्डेलवाल मेरे अभिभाष्य के कहने में है इसलिए मयंक खण्डेलवाल को मेरा अभिभाष्य अपनी चल व अचल सम्पत्ति से वंचित/बेदखल करता है तथा सामाजिक रूप से भी मयंक खण्डेलवाल को मेरा अभिभाष्य स्वयं व परिवार से अलग समझा जावें। उपरोक्त मयंक खण्डेलवाल मेरे अभिभाष्य की प्रतिष्ठा के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई लेनदेन/संव्यवहार करता है या मेरी चल अचल सम्पति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का ईकरारनामा संव्यवहार इत्यादि करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संव्यवहार करने वाले व्यक्ति व मयंक खण्डेलवाल स्वयं की होगी जिसके लिए मेरा अभिभाष्य किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
शिवराम शर्मा, एडवोकेट, मा. 7615902732

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम मृदुला शर्मा पत्नी श्री सुनील कुमार शर्मा से बदलकर मृदुला त्रेहन शर्मा कर लिया है, जैसा की आधार कार्ड और पैनकार्ड में दर्ज है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये, मोबाइल-9982683023

I Kalu Ram S/o Sahib Ram R/o 31 SSW (Fatehgarh) Hanumangarh, Rajasthan-335801,have changed my name to Ram Poonia.

खोया पाया
मेरा प्लाट नम्बर 22, वाटिका एनक्लेव, ग्राम वाटिका, सांगानेर, जयपुर जो 197.91 गज का मूल पट्टा क्रमांक सी-4773 व ई-4531 कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें। शंकर लाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद 9414717505

मेरे Flat No. E3/4/4, Dwarkapuri Apartment प्रताप नगर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र व कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- सीताराम रैगर-9351390331

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. Agriculture University-Jobner), Bhusawar : Bharatpur (Rajasthan)-321406
No. : F.( )/Dean-COAB/2025/1072-76 Dated :- 18/02/2025
NOTICE INVITING BID
Bid for open tender regarding Tube Well Construction are invited from interested bidders up to 11.00 AM, 25.02.2025. other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **(http://sppp.raj.nic.in)** of the state or **www.sknau.ac.in** University website.
NIB Code SKN2425A0416 and UBN is SKN2425WSOB00415
Raj.Samwad/C/24/12077 DEAN

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY) Kumher, Distt. - Deeg, PIN- 321201
No. : F. /OT/COA-K/2025/3372 Dated :- 20/02/2025
NOTICE INVITING BID
Bid for open tender regarding purchase of Office Furniture are invited from interested bidders up to 11.30 AM of 03.03.2025 and the tender will be opened on 03.03.2025 at 11.30 AM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **(http://sppp.raj.nic.in)** of the Rajasthan state; and **www.sknau.ac.in** University Website. **UBN is: SKN2425GSOB00424**
Raj.Samwad/C/24/12069 DEAN

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
मुरलीपुरा स्कीम, सब्जी मण्डी, जयपुर।
क्रमांक :- जसअ/2025/304 दिनांकः 20.02.2025
ई- निविदा सूचना संख्या 52/2024-25
केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत "एए" व "ए" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्यों से निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की Web Site www.jaipurmc.org पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकेगीं।
SPPP portal UBN No. JMC2425WSOB01427
अधिशाषी अभियन्ता मुरलीपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
राज.संवाद/सी/24/12101

कार्यालय नगर पालिका लालसोट (दौसा)
Email ID-lalsot.jaipur@yahoo.com Ph.-01427-220054
क्रमांक-भूमि/900/7255 **प्रारूप 10 नियम 6(7) देखिए** दिनांक-21.02.2025
प्राधिकृत अधिकारी दौसा
सूचना
1. श्रीमती अन्नपूर्णा पत्नि स्व. श्री तीर्थनारायण हिस्सा 1/24 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 2. श्री कमल कान्त शर्मा पुत्र श्री अरूण कुमार शर्मा हिस्सा 23/120 जाति ब्राह्मण 3. श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री तीर्थनारायण हिस्सा 1/24 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 4. श्री मदन लाल मीना पुत्र शम्भुदयाल मीना हिस्सा 1/3 जाति मीना 5. श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा हिस्सा 7/30 जाति ब्राह्मण 6. श्री शम्भुदयाल पुत्र हरिशंकर हिस्सा 1/30 जाति ब्राह्मण 7. श्री शिवरतन पुत्र श्री कैलाशप्रसाद हिस्सा 1/48 जाति ब्राह्मण 8. श्रीमती सावित्री पुत्री श्री महादेव प्रसाद हिस्सा 5/48 जाति ब्राह्मण निवासी दौसा राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषक आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपनेअभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
1	दौसा	दौसा कलां	1949	0.34 है.
2	दौसा	दौसा कलां	1950	0.36 है.
3	दौसा	दौसा कलां	1952	0.12 है.
4	दौसा	दौसा कलां	1953	0.26 है.
5	दौसा	दौसा कलां	1954	0.34 है.
6	दौसा	दौसा कलां	1959	0.16 है.
7	दौसा	दौसा कलां	1960	1.18 है.
कुल				1.76 है.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, दौसा

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 CrPC देखिए
मेर